कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत

UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

Ph. No. 05966-220679
Fax No. 05966-220679

E-mail – eepdrani@yahoo.com

पत्रांक 2254/36 सी

दिनांक रानीखेत, अगस्त 16/,2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में देघाट चिन्तोली मोटर मार्ग के किमी. 13.00 से नगरकोठिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.495 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या– **FP/UK/ROAD/9043/2015**)।

सन्दर्भ :– भारत सरकार के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/154/2015/एफ.सी./879 दिनांक 24.07.2019 तथा आपका पत्रांक शून्य दिनांक 13.08.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति में ग्राम नगरकोटिया जो कि देघाट चिन्तोली नागचूलाखाल मार्ग से जुड़ा है। प्रस्ताव में नगरकोटिया की नाप भूमि प्रभावित होने के कारण लाभान्वित दिखाई गयी है, जिससे उक्त भूमि में दुकाने आदि खोलने से रोजगार एवं पर्यटन को बढावा प्राप्त होगा, जिससे उन्हें आशिंक रूप से लाभ प्राप्त होगा तथा भूमि की दरों में भी वृद्वि होगी। अन्य ग्राम को सम्पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त होगा। स्थानीय जनता/जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों द्वारा उक्त मार्ग के निर्माण हेतु बार–बार इस खण्ड में सम्पर्क किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :– मार्ग का औचित्य प्रमाण पत्र।

भवदीय,

(कुन्दन लाल वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक / तद्दिनांकित

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता(तृतीय), प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

वन भूमि की विस्तृत आख्या/औचित्य

परियोजना का नाम :– जनपद अल्मोड़ा में एस.सी.पी. के अन्तर्गत देघाट–चिन्ताली मोटर मार्ग के किमी.13.00 के नगरकोटिया नामक स्थान से कोठा गांव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण। (लम्बाई 1.825किमी.)(495है0)

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश सं. 827/III(2)/06–76(प्रा.आ.)/2005 टी.सी. दिनांक 28.03.2006 के द्वारा 3.00 किमी लम्बाई हेतु रूपया 53.40 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

इस मोटर मार्ग के निर्माण से स्थानीय जनता को रोजगार प्राप्त होगा तथा विकास की ओर अग्रसर होगें मोटर मार्ग के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य कराया गया है। परन्तु इस मार्ग के निर्माण हेतु ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। जिसमें मार्ग निर्माण से वन भूमि प्रभावित नहीं होती है। स्थल पर मार्ग निर्माण हेतु एक ऐसा समरेखण प्रस्तावित किया गया है। जिसमें ग्रामवासियों द्वारा भी इस समरेखण पर सहमति दी गयी है जिस कारण समरेखण प्रस्ताव स्वीकृत कराया गया।

अतः इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु समरेखण में 0.477है0 वन पंचायत भूमि तथा 0.018है0 सिविल बेनाप भूमि कुल 0.495है0 वन भूमि प्रभावित होती है, जिस हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव गठित किया गया है।

कनिष्ट अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत

वन क्षेत्र अधिकारी
जौरासी वन क्षेत्र
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

उपप्रभागीय वनाधिकारी रानीखेत
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा